आपदा प्रबंधन योजना, चिकित्सा विभाग
बनारस रेल इंजन कारखाना, वाराणसी
Disaster Management Plan, Medical Department
Banaras Locomotive Works, Varanasi

आपदा प्रबंधन समिति :-

प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बरेका, वाराणसी की अध्यक्षता में केंद्रीय चिकित्सालय के निम्नलिखित अधिकारी आपदा प्रबंधन समिति का गठन करेंगे:-

- डॉ. मधुलिका सिंह, व.मं.चि.अधिकारी (बहिरंग) [रेलवे नं.- 44732 (O), मो. 9794861511]
- डॉ. विजय सिंह, व.मं.चि.अधिकारी (ऑर्थोपेडिक सर्जन), [रेलवे नं.- 44724 (O), मो. 9794861509]
- डॉ. मिन्हाज अहमद, व.मं.चि.अधिकारी (मेडिसिन) [रेलवे नं.- 44722 (O), मो. 9794861842]
- डॉ. एस.के. मौर्या, व.मं.चि.अधिकारी (मेडिसिन) [रेलवे नं.- 44736 (O), मो. 9794861502]
- डॉ. विशाल मिश्रा, मं.चि.अधिकारी (एनेस्थीसिया), मो. 9794861503
- डॉ. अमित गुप्ता, मं.चि.अधिकारी (ऑर्थोपेडिक सर्जन), मो. 9794861549
- डॉ. सौरभ सागर, मं.चि.अधिकारी (एनेस्थीसिया), मो. 9794861517
- डॉ. तन्मय आनन्द, मं.चि.अधिकारी (बाल रोग), मो. 9704861506
- श्रीमती गीता कुमारी चौधरी, सहायक नर्सिंग अधिकारी, मो. 9794861568
- आपदा समिति में चिकित्सालय के अन्य कर्मी:-
  श्रीमती अंजना टोड, मुख्य नर्सिंग अधीक्षक (8127768544)
  श्री सोमनाथ हेम्ब्रम, मुख्य फार्मासिस्ट (9794864090)
  श्री मनोज कुमार गुप्ता, रेडियोग्राफर (9794864098)
  श्री अनिल कुमार, मुख्य प्रयोगशाला अधीक्षक (9794864091) एवं अन्य पैरामेडिकल कर्मी।
  फायर ब्रिगेड :- 05422270661

टीम का गठन :-

अ.मु.चि.अधीक्षक (बहिरंग) चिकित्सालय आपदा प्रबंधन के नोडल अधिकारी के रूप में काम करेंगे। हालाँकि, सूचना एवं संचार का कार्य डॉ. विजय सिंह, अ.मु.चि.अधीक्षक द्वारा किया जाएगा। चिकित्सालय की आपदा प्रबंधन समिति को 2 टीमों में विभाजित किया गया है :-

टीम ए :- अ.मु.चि.अधीक्षक (बहिरंग), अ.मु.चि.अधीक्षक (ऑर्थो.), व.मं.चि.अधिकारी (मेडिसिन-I) और मं.चि.अधिकारी (एनेस्थीसिया-I), मैट्रन, फार्मासिस्ट और आपातकालीन इकाई में काम करने वाले अन्य कर्मी ।

टीम बी :- व.मं.चि.अधिकारी (मेडिसिन-II), मं.चि.अधिकारी (ऑर्थो.), मं.चि.अधिकारी (एनेस्थीसिया-II), मं.चि.अधिकारी (पेडियाट्रिक), सहायक नर्सिंग अधिकारी, मुख्य मैट्रन, मुख्य फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और मुख्य प्रयोगशाला अधीक्षक ।

आपदा योजना समन्वय नियंत्रण कक्ष का मुख्यालय :-

(ए) अ.मु.चि.अधीक्षक (बहिरंग) का चैंबर, फोन: नं.- 44732 और मो.नं.- 9794861511
(बी) डॉ. विजय सिंह, व.मं.चि.अधिकारी, मो.नं. 9794861509
(सी) आकस्मिक कक्ष - 44740 (रेलवे) 05422270462 (डीओटी) चौबीसों घंटे।

आपदा प्रबंधन योजना, चिकित्सा विभाग
बनारस रेल इंजन कारखाना, वाराणसी
Disaster Management Plan, Medical Department
Banaras Locomotive Works, Varanasi

चिकित्सा विभाग से संचार हेतु प्रणाली :-

- आकस्मिक कक्ष - 44740 (रेलवे), 05422270462
- डॉ. विजय सिंह - 9794861509
- डॉ. एस.के. मौर्या - 9794861502
- डॉ. मधुलिका सिंह - 9794861511
- ड्रेसिंग रूम - 05422271437
- प्राथमिक चिकित्सा केंद्र (कार्मशाला)- 05422270661

सूचना और संचार :-

- बरेका/चिकित्सालय नियंत्रण कक्ष में मुख्य संरक्षा अधिकारी/पुलिस एवं रेसुब मुख्यालय से एक हॉट लाइन।
- बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे हताहतों का आगमन।
- हॉटलाइन पर सुनिश्चित किए जाने वाले विवरण हैं-
  1. घटना का समय और स्थान।
  2. दुर्घटना की प्रकृति।
  3. हताहतों की अनुमानित संख्या।
  4. सूचना का स्रोत।
  5. प्रामाणिकता।

अपेक्षित आपदा के प्रकार :-

- प्राकृतिक आपदाएँ जैसे बाढ़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन।
- मानव द्वारा बड़ी दुर्घटना, वाहन और विमान की आपात स्थिति, गोली और विस्फोट की चोटें, इमारत का ढहना, अत्यधिक आग, असामान्य रसायन, असामान्य आतंकवादी प्रगति, डूबना आदि जैसे अन्य कोई।
- जैविक आपदाएँ जैसे खाद्य विषाक्तता, असामान्य आंत्रशोथ, डेंगू बुखार, स्वाइन फ्लू, वायरल हेपेटाइटिस आदि।

योजना और कर्तव्यों को सक्रिय करना :-

कैजुअलिटी ड्यूटी चिकित्सक :-

- प्रामाणिक स्रोत से जानकारी प्राप्त होने पर कैजुअलिटी ड्यूटी चिकित्सक योजना को सक्रिय करेंगे तथा प्र.मु.चि.अधिकारी, व.मं.चि.अधिकारी (बहिरंग), नोडल अधिकारी और अन्य चिकित्सकों को सूचित करेंगे।
- वह आपदा का समय और स्थल, चिकित्सा सहायता का समय या आदेश देंगे और यदि संभव हो तो घायल व्यक्तियों की संख्या, संदेशों का समय और स्रोत नोट करेंगे। प्राप्त सभी संदेशों और सूचनाओं को कैजुअलिटी ड्यूटी चिकित्सक द्वारा समय के साथ कैजुअलिटी संदेश रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
- वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सभी कर्मियों (पुरुष वार्ड से एक नर्स, महिला वार्ड से एक परिचारक, ड्यूटी पर किसी भी वार्ड से एक सफाईवाला) को 5 मिनट के भीतर तथा (एक फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और प्रयोगशाला तकनीशियन) को 10 मिनट के भीतर दुर्घटना की सूचना दी जाए।
- कैजुअलिटी ड्यूटी चिकित्सक पैरामेडिकल स्टाफ और पीओएमकेए के साथ मुख्य संरक्षा अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा सूचित किए जाने पर 15 मिनट के भीतर उस व्यक्ति को रिपोर्ट करेंगे।
- किसी भी कारण से कोई देरी नहीं।
- वह समय के साथ मेडिकल टीम (यहां मेडिकल टीम - ए कहा जाता है) के आगमन पर लिखित पावती लेंगे। वह नामित मेडिकल टीम - ए के आने तक मेडिकल टीम के रूप में काम करेंगे, जिसका नेतृत्व अ.मु.चि.अधीक्षक/ऑर्थो (9794861509) करेंगे।

आपदा प्रबंधन योजना, चिकित्सा विभाग
बनारस रेल इंजन कारखाना, वाराणसी
Disaster Management Plan, Medical Department
Banaras Locomotive Works, Varanasi

ड्यूटी पर तैनात नर्स :-

- वह स.न.अधिकारी/मुख्य नर्सिंग अधीक्षक को सूचित करेंगी तथा कैजुअलिटी में समय के भीतर कर्मचारियों को रिपोर्ट करने में कैजुअलिटी ड्यूटी चिकित्सक की सहायता करेंगी।
- वह पीओएमकेए में आवश्यक सामग्री सुनिश्चित करेंगी। वह आईवी फ्लूड्स, इंजेक्शन आदि की व्यवस्था करेंगी।
- वह ड्यूटी पर मौजूद ड्रेसर को बुलाकर 2 टांके लगाने वाली ट्रे और ड्रेसिंग सामग्री, स्प्लिंट्स की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी।
- वह ऑक्सीजन सिलेंडर की जांच करेंगी और बिस्तर तैयार करेंगी।
- वह कैजुअलिटी में नर्स, परिचर और सफाईवाला की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगी।
- वह कैजुअलिटी ड्यूटी चिकित्सक की सलाह के अनुसार साइट पर पहुंचेगी। वह उस क्षेत्र में डेटा लेने में उसकी सहायता करेंगी और रोगी और नर्सिंग स्टाफ को दवाएं प्रदान करेंगी।
- वह मुख्य नर्सिंग अधीक्षक की सलाह के अनुसार सामग्री को संभालने, रोगी को स्थानांतरित करने और/या मृतकों के परिवहन में सहायता करने जैसी गतिविधियों के लिए जनशक्ति प्रदान करेंगी। मुख्य नर्सिंग अधीक्षक भी आवश्यकतानुसार ऐसी सहायता के लिए एचआई को बुलाएंगे।
- यदि फार्मासिस्ट कैजुअल्टी ड्यूटी पर नहीं है तो वह फार्मासिस्ट की ड्यूटी भी निभाएंगी। वह दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

ऑन ड्यूटी फार्मासिस्ट :-

- वह मुख्य फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर और मुख्य प्रयोगशाला अधीक्षक को सूचित करेंगे और कैजुअलिटी ड्यूटी चिकित्सक को कैजुअलिटी में समय के भीतर कर्मी एकत्र करने में सहायता करेंगे।
- वह आपदा के समय और स्थल, चिकित्सा सहायता के समय या आदेश और यदि संभव हो तो घायल व्यक्तियों की संख्या, समय और संदेशों के स्रोत को नोट करने में कैजुअलिटी ड्यूटी चिकित्सक की सहायता करेंगे। वह रिकार्ड बनाए रखेंगे।
- वह कैजुअलिटी में फार्मासिस्ट, एक्स-रे तकनीशियन, प्रयोगशाला तकनीशियन और ड्रेसर की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।
- वह दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
- वह कैजुअलिटी ड्यूटी चिकित्सक की सलाह के अनुसार साइट पर पहुंचेंगे । वह वहां उसकी सहायता करेंगे/करेंगी।
- वह रोगियों को दवाएं और ड्रेसिंग सामग्री उपलब्ध कराएंगे। वह ड्रेसर को दवाएं और ड्रेसिंग सामग्री उपलब्ध कराएंगे और आवश्यकतानुसार उसकी सहायता करेंगे।
- वह आपदा स्थल पर चिकित्सा टीमों के आगमन को रिकॉर्ड करेंगे और घोषणा करेंगे।
- वह ड्रिल के प्रारंभिक भाग में ट्राइएज अधिकारी का अनुसरण करेंगे तथा आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता करेंगे।
- वह सभी चोट के आंकड़ों को संकलित करेंगे और तीन प्रतियों में तैयार करेंगे ।
- वह चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा की निगरानी करेंगे।

आपदा प्रबंधन योजना, चिकित्सा विभाग
बनारस रेल इंजन कारखाना, वाराणसी
Disaster Management Plan, Medical Department
Banaras Locomotive Works, Varanasi

टीम की गतिविधि :-

व.मं.चि.अधिकारी (बहिरंग): व.मं.चि.अधिकारी (बहिरंग) टीम ए गतिविधि के लिए अ.मु.चि.अधीक्षक/ऑर्थो को और टीम बी के लिए व.मं.चि.अधिकारी (फिजिशियन-II) को चिकित्सालय में काम करने हेतु सूचित करेंगे।

टीम ए :

- कैजुअलिटी ड्यूटी चिकित्सक पैरामेडिकल कर्मी और पीओएमकेए के साथ मुख्य संरक्षा अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा सूचित स्थान और व्यक्ति को रिपोर्ट करेंगे; और समय के साथ मेडिकल टीम (यहां इन्हें मेडिकल टीम ए कहा जाता है) के आगमन पर लिखित पावती लेंगे। वह नामांकित मेडिकल टीम ए के आने तक मेडिकल टीम ए के रूप में काम करेंगे, जिसका नेतृत्व व.मं.चि.अधिकारी (बहिरंग) करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में टीम का अगला वरिष्ठतम चिकित्सक मेडिकल टीम ए के अग्रणी के रूप में कार्य करेंगे । यह टीम अ.मु.चि.अधीक्षक (प्रशासन) के निर्देशानुसार साइट पर काम करेगी या आवश्यकता के अनुसार चिकित्सालय वापस आ सकती है।
- यह टीम एक स्थान पर रहेगी और फील्ड ड्रेसिंग पोस्ट (एफपीडी) खोलेंगे तथा शांत एवं स्थिर रहेंगे।
- यह संपूर्ण शरीर की त्वरित व गहन जांच करेंगे और उसके अनुसार उपचार करेंगे।
- यह चोट को वर्गीकृत करेंगे, यह तय करेंगे कि चिकित्सालय स्थानांतरित करना है या नहीं और किस माध्यम से करना है।
- यह गंभीर रोगियों को अगले चिकित्सक के पास भेजेंगे।
- एक चिकित्सक शवों की देखभाल करेंगे।
- एक वरिष्ठ चिकित्सक मृत/घायल व्यक्तियों की सूची तैयार करेंगे ।

साइट पर वरिष्ठतम चिकित्सक :-

- वह त्वरित और कुशल प्रबंधन के लिए बाकी टीम की निगरानी और मार्गदर्शन करेंगे।
- वह प्रवक्ता होंगे तथा मुख्य संरक्षा अधिकारी को घायलों के आंकड़ों की जानकारी देंगे।
- वह आपदा स्थल पर रहने के लिए ड्रेसर सहित चिकित्सक को नामित करेंगे।
- वह चिकित्सालय का दौरा करने और रोगी व उनकी चोटों का विवरण नोट करने के लिए अन्य चिकित्सकों को नियुक्त करेंगे।

सूची तैयार करने हेतु वरिष्ठ चिकित्सक :-

- वह अन्य चिकित्सकों से मृत और घायल व्यक्ति की जानकारी जुटाएंगे।
- वह प्रोफार्मा के अनुसार चोट की सूची तैयार करेंगे और मृतकों/घायलों की सूची तीन प्रतियों में तैयार करेंगे।
- वह नाम, लिंग आदि के विवरण के साथ मृतकों और घायलों की संख्या के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी देने के लिए चिकित्सालय नियंत्रण और टीम बी के नेतृत्वकर्ता के साथ संवाद करेंगे।
- सूची को आवश्यकतानुसार समय-समय पर अद्यतन करना और नवीनतम जानकारी कंट्रोल को भेजना ।

ट्राइएज अधिकारी (अधिमानत: शल्य चिकित्सक) :-

- वह एक फार्मासिस्ट के साथ सभी प्रमुख कार्यों का समय रिकॉर्ड करेंगे।
- वह ड्रिल की तैयारी हेतु बाकी टीम को निर्देश देंगे।
- वह टॉर्च और हैवरसैक से सुसज्जित होंगे।
- वह घायलों की संख्या, चोटों की प्रकृति और संभावित मृत्यु का त्वरित आकलन करने के लिए आपदा स्थल का निरीक्षण करेंगे।
- वह आवश्यकता पड़ने पर टीम को स्ट्रेचर लेकर पहुंचने के लिए मार्गदर्शन करेंगे।
- वह एफपीडी में वापस आएंगे और वरिष्ठतम चिकित्सक को सूचित करेंगे।

शवों के लिए प्रभारी चिकित्सक :-

- वह उपलब्ध जनशक्ति की सहायता से शवों को दुर्घटना स्थल से निर्धारित स्थान पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था करेंगे।
- वह इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक शवों पर एक कपड़ा लगाएंगे। लेबल पर तिथि, शव क्रमांक, नाम, आयु, लिंग अंकित होना चाहिए, पहचाने गए शवों के मामले में इसे कॉलम के सामने अंकित किया जाना चाहिए, अज्ञात-1, अज्ञात-2, आदि नाम लिखा जाना चाहिए और आयु अनुमानित लिखी जानी चाहिए।
- वह शवों की तस्वीर लेंगे, चेहरे का एक क्लोज़ अप जिसमें शव का लेबल और पूरी लंबाई की तस्वीर शामिल होगी।
- फोटोग्राफी के बाद प्रत्येक शव को उचित लेबल प्रणाली वाले ज़िप वाले बैग के अंदर रखा जाएगा।
- इसके बाद शव को आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंप दिया जाएगा और शवों को सौंपने की उचित रसीद लेनी होगी।
- यदि किसी कारण से शव के निस्तारण में देरी होती है तो वह शव के संरक्षण की व्यवस्था करेंगे।
- वह पोस्टमॉर्टम के दौरान चिकित्सक को को-ऑर्डिनेट करेंगे।
- वह लकड़ी के ताबूतों की व्यवस्था करेंगे और शवों को सुरक्षित रखने में मदद करेंगे।

टीम बी :-

- व.मं.चि.अधिकारी (फिजीशियन-।।) टीम बी का नेतृत्व करेंगे। उनकी अनुपस्थिति में टीम के अगले वरिष्ठतम चिकित्सक मेडिकल टीम ए के अग्रणी के रूप में कार्य करेंगे। यह टीम नोडल अधिकारी व.मं.चि.अधिकारी (बहिरंग) के निर्देशानुसार चिकित्सालय में काम करेंगे।
- यह टीम कैजुअल्टी यूनिट में एक आपातकालीन अनुभाग स्थापित करेंगे। यह टीम व.मं.चि.अधिकारी (बहिरंग) के आगमन तक व.मं.चि.अधिकारी (बहिरंग) के कक्ष में आपदा योजना समन्वय नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का भी प्रबंध करेंगे।
- यह आपदा प्रबंधन टीम और टीम ए के साथ संपर्क बनाए रखेंगे।
- यह दुर्घटना स्थल पर चिकितसक द्वारा दिए गए विवरण से व.मं.चि.अधिकारी (बहिरंग) को अवगत कराएंगे।
- यह टीम व.मं.चि.अधिकारी (बहिरंग) के आने तक कक्ष में आपदा योजना समन्वय नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का भी प्रबंधन करेंगे।
- यह यथासंभव अधिक से अधिक बिस्तर खाली कराएंगे, ऑपरेशन थियेटर तैयार करेंगे तथा अतिरिक्त विस्तर की व्यवस्था करेंगे।
- यह स्थानीय, सिविल/निजी चिकित्सालयों को सूचित करेंगे कि वे हताहतों की सहायता के लिए तैयार रहें।
- यह रक्त बैंक को सूचित करेंगे।
- यह आवश्यकतानुसार पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे के निकटवर्ती प्रभागों को प्राथमिक चिकित्सा में प्रशिक्षित चिकित्सकों एवं कर्मियों, एसजेएबी, स्काउट्स, नागरिक सुरक्षा के सदस्यों को चिकित्सालयों और/या दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध रहने हेतु सूचित करेंगे।
- यह चिकित्सालय में रिपोर्ट की गई सभी चोटों को देखेंगे, क्रमबद्ध करेंगे और प्रबंधित करेंगे। यह पुनरुत्थान और फ्रैक्चर की स्प्लिंटिंग का एबीसी करेंगे।
- यह आवश्यकतानुसार अन्य चिकित्सालयों तक परिवहन का सबसे सुरक्षित और शीघ्रतम साधन तय करेंगे ।
- यह आपदा स्थल पर आवश्यकतानुसार सामग्री के साथ चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ से युक्त दूसरी टीम का प्रबंधन और प्रेषण करेंगे।

आपदा प्रबंधन योजना, चिकित्सा विभाग
बनारस रेल इंजन कारखाना, वाराणसी
Disaster Management Plan, Medical Department
Banaras Locomotive Works, Varanasi

वर्ष में एक बार मॉक ड्रिल का आयोजन।

स्वागत केंद्र :

- सामान्य भारित कार्य हेतु : वर्तमान दुर्घटनास्थल स्वागती क्षेत्र के रूप में कार्य करेगी।
- मध्यम/बड़े/भारी कार्य हेतु : वर्तमान दुर्घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र को स्वागती क्षेत्र में परिवर्तित किया जाएगा।
- पुलिस, रेसुब, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक कर्मी यातायात नियंत्रक के रूप में कार्य करेंगे और रोगी और रिश्तेदारों को संबंधित स्वागत केंद्रों तक निर्देशित करेंगे ।

प्राथमिक चिकित्सा और छंटाई :

- **सामान्य भारित कार्य हेतु प्राथमिकता निर्धारण :** वर्तमान आपात चिकित्सा टीम प्राथमिक चिकित्सा और छंटाई के लिए कार्य करेंगे।
- **मध्यम/बड़े/भारी कार्य हेतु प्राथमिकता निर्धारण :** केंद्र में दो टीमें होंगी, जिनमें आवश्यकतानुसार चिकित्सक, एनेस्थेटिस्ट, अन्य चिकित्सक और पैरामेडिकल शामिल होंगे।
- **वैकल्पिक टीम:** यदि पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ (जनरल सर्जन/ऑर्थोपेडिक्स सर्जन/फिजिशियन/एनेस्थेटिस्ट) उपलब्ध नहीं हैं तो क्लिनिकल टीम बनाने के लिए जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी ली जाएगी। निजी/सरकारी विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है । उपलब्ध विशेषज्ञ विभिन्न टीमों की सहायता कर सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र का दायित्व :

- **हताहतों की त्वरित वर्गीकरण :**
  - ***(1) प्राथमिकता एक :*** तत्काल पुनरुत्थान की आवश्यकता।
  - ***(2) प्राथमिकता दो :*** तत्काल शल्य चिकित्सा।
  - ***(3) प्राथमिकता तीन :*** प्राथमिक चिकित्सा और संभावित शल्य चिकित्सा की आवश्यकता।
  - ***(4) प्राथमिकता चार :*** केवल प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता।
- **कार्रवाई:**
  - ***(1) प्राथमिकता एक :*** आकस्मिक स्थिति में देखभाल की जाएगी।
  - ***(2) प्राथमिकता दो :*** आपातकालीन विभाग में इलाज कराया जाएगा और तुरंत प्रमुख ऑपरेशन थियेटर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
  - ***(3) प्राथमिकता तीन :*** बिस्तर उपलब्ध होने पर प्राथमिक उपचार किया जाएगा एवं भर्ती किया जाएगा या अन्य चिकित्सालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
  - ***(4) प्राथमिकता चार :*** प्राथमिक उपचार करके घर भेज दिया जाएगा।
- **मरीजों के लिए होल्डिंग क्षेत्र :** होल्डिंग के लिए चिह्नित क्षेत्र आईसीसीयू वार्ड और महिला वार्ड के गलियारे होंगे।
- **शव का प्रबंधन :**
  (1) जो लोग मृत लाए गए या पुनर्जीवन प्राप्त करते समय मर सकते हैं उन्हें अलग कर दिया जाएगा।
  (2) शवों को रखने के लिए फिजियोथैरेपी यूनिट के सामने गैराज में अस्थायी शवगृह बनाया जाएगा। इस क्षेत्र में शवों की आवश्यक पहचान और पुलिस को सौंपने का कार्य किया जाएगा।
  (3) बिना चिकित्सकीय कानूनी मंजूरी के कोई भी शव परिजनों को नहीं सौंपा जाएगा। यह व.मं.चि.अधिकारी (बहिरंग) की देखरेख में कार्य करेंगे ।

आपातकालीन नं.- 44740 (रेलवे)
आपातकालीन नं.- 05422270462
मरहम-पट्टी कक्ष नं.- 04522271437

स्वागती नं.- 44444 (रेलवे)
प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट (कर्मशाला) - 05422270564
दमकल नं.- 05422270661

अतिरिक्त बिस्तर हेतु स्थान :

होल्डिंग क्षेत्र (आईसीसीयू वार्ड और महिला वार्ड के गलियारों पर चिह्नित) के सिवाए अतिरिक्त बिस्तर हेतु स्थान निम्नानुसार बनाया जाएगा :-

- अतिरिक्त बिस्तर सुविधा वाले वार्डों/केबिनों का उपयोग।
- इस प्रयोजन के लिए किसी भी खाली बिस्तर को प्र.मु.चि.अधिकारी/व.मं.चि.अधिकारी (बहिरंग) द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा।
- निम्नलिखित श्रेणी के रोगियों को डिस्चार्ज करके
  (1) केवल नर्सिंग देखभाल की आवश्यकता वाले स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे रोगी।
  (2) वैकल्पिक शल्य चिकित्सा मामले: ऐसे रोगी जिन्हें घर पर ही देखभाल या बहिरंग सलाह मिल सकती है।
  (3) पैथोलॉजी के समक्ष स्थित प्रतिक्षालय का स्थायी रूप से उपयोग करना पड़ सकता है।

लिनेन स्टोर :

- मैट्रन/ड्रग स्टोर के सामने एक साइड रूम इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है। निम्नलिखित स्टोर्स को उस कमरे में स्थानांतरित किया जाना चाहिए: (1) गद्दे - 30 (2) चादरें - 100 (3) कंबल - 80 (4) तकिए और कवर - 80 (4) रोगी के कपड़े - 50 (5) आईवी स्टैंड - 20 (6) ऑक्सीजन सिलेंडर - 15.
- यदि अतिरिक्त चादरें, कंबल, तकिए और कवर की आवश्यकता हो तो सहायक नर्सिंग अधिकारी/मुख्य मैट्रन वाणिज्यिक/भंडार विभाग से मांग कर सकते हैं।

औषधियाँ और उपकरण :

- प्र.मु.चि.अधिकारी, व.मं.चि.अधिकारी (स्टोर्स), ड्यूटी कैजुअल्टी मेडिकल अधिकारी के आदेश पर फार्मासिस्ट (स्टोर) को आवश्यक दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों को आकस्मिकता और वार्डों में उपलब्ध कराने व स्टोर खोलने के लिए तुरंत बुलाया जाएगा। तत्काल उपाय के रूप में हताहतों के लिए निर्धारित बफर स्टॉक का उपयोग किया जाएगा। ड्रेसिंग सामग्री और सर्जिकल स्टोर की वस्तुएं इसी तरह रिजर्व में रखी जाती हैं। मेडिकल स्टोरों में जीवन रक्षक दवाओं से भरी एक दर्जन आपातकालीन ट्रे तैयार रखी जाएंगी। शुरूआती कुछ घंटों के लिए एवं तत्काल उपयोग के लिए कैजुअल्टी में उपस्थित सिस्टर इन-चार्ज के पास मौजूद आपातकालीन स्टॉक से दवाओं की मांग की जाएगी।
- स्टोर प्रभारी द्वारा आईवी फ़ल्यूड्स/क्रिस्टलॉयड्स की लगभग 400 बोतलें उपलब्ध रखी जाएंगी।

आपातकालीन रक्त की आवश्यकता :

- स्वयंसेवकों और स्वयंसेवी संगठनों से अधिक से अधिक रक्तदान करने के लिए संपर्क किया जाएगा।
- आवश्यक रक्त इकाइयों को प्राप्त करने के लिए वाराणसी के चिकित्सा विज्ञान संस्थान (आई.एम.एस.), का.हि.वि.वि. और आई.एम.ए. के रक्त बैंक अधिकारी से संपर्क किया जाएगा।

चिकित्सालय कर्मचारी :

- चिकित्सालय स्टाफ : नियमित क्लिनिकल इकाइयों के सदस्यों के अलावा ओपीडी के सभी पैरामेडिकल स्टाफ को हताहतों के प्रबंधन में क्लिनिकल स्टाफ की सहायता करने के लिए कहा जाएगा। नियमित सलाहकारों और स्टैंडबाय चिकित्सकों का ड्यूटी रोस्टर नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध कराया जाना है।
- नर्सिंग स्टाफ : सहायक नर्सिंग अधिकारी द्वारा नर्सिंग स्टाफ का एक पूल बनाया जाएगा ताकि नर्सिंग स्टाफ कम समय में उपलब्ध करा सके।

अन्य कर्मचारी :

- पंजीकरण काउंटर और मरीज के रिश्तेदारों के दस्तावेजीकरण और पहचान के लिए मेडिकल टीम की सहायतार्थ कल्याण निरीक्षकों को तैनात किया जाएगा।
- स्वयंसेवक: सेंट जॉन एम्बुलेंस ब्रिगेड, नागरिक सुरक्षा और स्काउट्स एवं गाइड के स्वयंसेवकों को आवश्यकतानुसार कार्य में शामिल किया जा सकता है।

आपदा प्रबंधन योजना, चिकित्सा विभाग
बनारस रेल इंजन कारखाना, वाराणसी
Disaster Management Plan, Medical Department
Banaras Locomotive Works, Varanasi

दस्तावेज़ीकरण केंद्र :

- सामान्य भारित कार्य हेतु : दस्तावेज़ीकरण दुर्घटनास्थल पर ही किया जाएगा।
- मध्यम/बड़े/भारी कार्य हेतु : दस्तावेज़ीकरण वर्तमान दुर्घटना और आस-पास के क्षेत्र में किया जाएगा।
- पंजीकरण काउंटर पर काम करने वाले कर्मचारियों और नर्सिंग स्टाफ का उपयोग दस्तावेज़ीकरण और पहचान के लिए किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए स्वयंसेवकों का भी उपयोग किया जा सकता है।

चिकित्सालय सुरक्षा एवं अग्नि :-

ऐसी आपदाओं के दौरान कर्मचारियों, रोगियों, चिकित्सालय भवन और उपकरणों की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ओसी/रेसुब से अनुरोध किया जाता है कि वे इस उद्देश्य के लिए सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त और व्यवस्थित करें।

दमकल :- (05422270661)

खाद्य सेवा :

रोगी और आपातकालीन ड्यूटी स्टाफ को भोजन की आपूर्ति स.न.अधिकारी/मैट्रन द्वारा की जाएगी। निधि की उपलब्धता सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्ण की जाएगी।

सूचना सेवाएं :

व.मं.चि.अधिकारी/बहिरंग सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे और प्रेस, रेडियो और अन्य मीडिया, व्यक्तियों, संगठन, सरकार या अन्य के लिए सभी जानकारी पीआरओ द्वारा जारी की जाएगी। ऐसी सूचना जारी करने से पहले उसे सक्षम प्राधिकारियों से पूर्व मंजूरी लेनी होगी।

इंजीनियरिंग और विद्युत रखरखाव सेवा :

इंजीनियर यह सुनिश्चित करेंगे कि पानी और बिजली बिना किसी रुकावट के उपलब्ध करायी जाये। सभी स्टैंडबाय विद्युतीय जनरेटरों की नियमित जांच, निरीक्षण किया जाएगा और उन्हें उत्कृष्ट सेवा योग्य स्थिति में रखरखाव किया जाएगा। वैकल्पिक जलापूर्ति स्रोत उपलब्ध कराया जाएगा। स्वास्थ्य निरीक्षक चिकित्सालय में और उसके आस-पास सामान्य साफ-सफाई और स्वच्छता का चौबीसों घंटे रखरखाव सुनिश्चित करेंगे।

रोगियों के परिजानों को आराम:

बड़ी आपदा की स्थिति में चिकित्सालय प्राधिकरण मरीजों और रिश्तेदारों की सहायता के लिए ऑफिसर्स क्लब, संस्थान और बरेका महिला कल्याण संगठन से सम्पर्क कर सकते हैं।

डिस्चार्ज प्रक्रिया:

उचित उपचार के बाद छुट्टी के योग्य हताहतों को स्वास्थ्य लाभ के लिए घर या अन्य चिकित्सालय में जाने के लिए डिस्चार्ज की जाएगी। डिस्चार्ज किए गए सभी मामलों में गंतव्य स्थल को चिकित्सालय द्वारा नोट किया जाएगा और पुलिस को सूचित किया जाएगा।

योजना की सफलता:

आपदा एक आपातकालीन स्थिति है। मृत्यु दर एवं रुग्णता को कम करने की इस योजना को सफल बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समय पर सहायता की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में मानवीय पीड़ा के निवारण के लिए पेशे के प्रति कर्तव्य के समक्ष व्यक्तिगत और कार्मिक विचार को कम प्राथमिकता दी जाती है।

निष्कर्ष:

आपदा प्रबंधन में कई बहु-विषयक एजेंसियां शामिल होती हैं जिनमें से चिकित्सा राहत सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। चिकित्सालयों के लिए कोई विशेष आपदा योजना नहीं बनाई जा सकती है एवं इसे समय-समय पर संशोधित किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक अनुभव नए दृष्टिकोण लाएगा। अंत में यह समझना होगा कि आपदा कहीं भी और किसी भी समय घटित हो सकती है। यह परिस्थितियों का सम्मान करने वाला नहीं है। यह अचानक और तीव्रता से से हमारे सम्मुख आता है और सबसे अनुपयुक्त क्षण को चुनने की उत्सुक प्रवृत्ति रखती है। इतनी बड़ी संख्या में हताहतों की अचानक आमद से निपटने के लिए चिकित्सालय के मात्रात्मक विस्तार की पूर्व-योजना बनानी होगी।

नोडल अधिकारी (आपदा प्रबंधन/चिकित्सा)
बनारस रेल इंजन कारखाना

<u>प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी</u>

आपातकालीन नं.- 44740 (रेलवे)
आपातकालीन नं.- 05422270462
मरहम-पट्टी कक्ष नं.- 04522271437

स्वागती नं.- 44444 (रेलवे)
प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट (कर्मशाला) - 05422270564
दमकल नं.- 05422270661